

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

जन्दा

विपक्षी

मुन्डालात

मुकदमा

17/20

पत्रावली संख्या

13/20

सन्

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	<p>20.3.24 पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्ता अनुपस्थित। हस्ताक्षर प्रकरण का मूल नॉन आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम - एजरी, अदम - पेशी में कार्रज किया जाने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्राधान्य आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम एजरी अदम पेशी में कार्रज किया जाता है। निर्णय सरेडजलाम सुनाया गया। प्रकरण फंसल नुमार होरु नम्बर से भ्रम हो।</p>	<p>(रिया सबी) IAS</p>

